



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265163
CG-DL-E-01082025-265163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3472]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 3472]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3558(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद', नई दिल्ली (पैन: AAAJA1571E) को उस परिषद को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) सरकार/सरकारी निकायों से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी;
- (ख) नियामक शुल्क;
- (ग) आरटीआई शुल्क तथा परीक्षा शुल्क;
- (घ) सीएमएटी/जीपीएटी शुल्क;
- (ङ) बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज;
- (च) विविध प्रभार/प्राप्तियां

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्षों 2024-25 से 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्षों 2023-24 से 2024-25 तक के लिए संगत होगी तथा निर्धारण वर्षों 2026-27 से 2028-29 के लिए लागू होगी तथा वित्तीय वर्षों 2025-26 से 2027-28 तक के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 128 /2025/फा. सं. 300196/18/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व व्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

S.O. 3558(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'All India Council for Technical Education', New Delhi, (PAN: AAAJA1571E), a Council established by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Council, namely:-

- (a) Grants/subsidies received from the Government/Govt. bodies;
- (b) Regulatory Charges;
- (c) RTI fee and Examination fee;
- (d) CMAT/GPAT fee;
- (e) Interest on bank deposits
- (f) Miscellaneous charges/receipts

2. This notification shall be effective subject to the conditions that All India Council for Technical Education, New Delhi-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2024-2025 to 2025-2026 relevant for the financial years 2023-2024 to 2024-2025 and shall be applicable for assessment year 2026-2027 to 2028-2029 relevant for the financial year 2025-26 to 2027-28.

[Notification No. 128 /2025/F. No. 300196/18/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.